न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 68/2020 निगरानी

सूरजमल पुत्र मोती लाल मीणा निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी लालू धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया
2. ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं. सं माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं.सं माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं.सं माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं. सं माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत अधिनियम 1994 आदेश पट्टा 16/07/2006 निरस्त करवाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल वैष्णव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राधेश्याम धाकड अधिवक्ता – प्रार्थी गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.04.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 को गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा एक भूखण्ड नपती 30 बाई 30 फीट का आबादी क्षैत्र माताजी के पास, बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिसके पडौस पूर्व मे मोती लाल मीणा, पश्चिम मे रास्ता, उत्तर मे शम्भू लाल, लालूराम पुत्र कजोड़, दक्षिण मे रास्ता का जारी किया गया, जो विधि विरूद्व है। उक्त जिस जगह का गैर निगराकार संख्या 01 एक को पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर निगराकार के पिता मोतीलाल मीणा की खरीदशुदा पटटेशुदा जायदाद में आने जाने का रास्ता व उसके पास में कैलाश चन्द्र बलाई की कब्जेशुदा जायदाद हैं, जिस पर निगराकार रास्ते के रूप में एवं कैलाश चन्द्र के कब्जेशुदा के रूप में उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया, जिसकी विधिवत न तो मिसल कायम की गई व न ही पट्टे में संकल्प संख्या उपर तो दिनांक 05/07/06 व नीचे 15/07/06 अंकित है व पट्टा 16/07/2006 को जारी करना बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलीभगती कर फर्जी पट्टा प्राप्त किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से आपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि पर हाल ही मे गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा जबरन मौके पर कब्जा करने की माह जनवरी 2019 में कोशिश की व पट्टा जारी होने की बात कही, इस पर दिनांक 28/01/2019 को ग्राम पंचायत से पट्टा की नकल प्राप्त की, तब उक्त निगराकार की भूमि का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी होने की जानकारी हुई

ने पंचायतीराज नियम 142 से 153 की विधिवत पालना नही की हैं। पट्टे की पुस्त पर रसीद संख्या 45 दिनांक 24/08/2006 के रकम 4500/– रूपये जमा होना बताया गया, जबकि पट्टा दिनांक 16/07/2006 को ही जारी कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि बिना रकम जमा हुए ही पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे निगरानी की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित नपती व पडौसो के मध्य के भूखण्ड़ का जारी किया गया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार संख्या 01 को दिनांक 16.7.2006 को विधिवत् आदेशित पट्टा जारी किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु निगराकार द्वारा 12 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् यह निगरानी पेश की जो पोषणीय नही होकर मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 2.2.2019 को निगराकार व सूरजमल मीणा व अन्य के विरूद्ध सिविल न्यायालय, बिजौलिया में वादपन्न बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का पेश किया। निगराकार व सूरजमल मीणा द्वारा अपने उपरोक्त कृत्यों से व उक्त एफआईआर व वाद की कार्यवाही से बचने की गरज से पश्चातवृत्ति सोच के आधार पर उक्त निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश की जो निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। उसके परिवार के लोगों ने दिनांक 29.12.14 को जरिये पंजीबद्ध विकयपत्र तादादी 1,00,000/– रूपये में विकय कर विकयपत्र विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित किया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 उक्त जायदाद नपति 30 फिट बाई 30 फिट पर सन् 2006 के पूर्व से निरन्तर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। जिसकी जानकारी भी निगराकार व सूरजमल मीणा को प्रारंभ से ही है। निगरानी के पैरा संख्या 5 में निगराकार कथन करता है कि "पत्रावली नहीं होने से केवल पट्टा ही दिया गया" साथ ही इस पैरा संख्या 6 में "पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तो उस पर कहीं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है" अंकित करता है, इस प्रकार उक्त दोनों कथनों में भारी विरोधाभास है। एकतरफ तो पत्रावली नहीं होने बाबत् तो दूसरी ओर पत्रावली का अवलोकन करने की बात कहता है एवं जो पट्टा पेश किया उसमें सचिव घीसा लाल जी व सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उक्त पट्टा विलेख को निगराकार ने स्वयं ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अब यह न्यायालय का देखने का विषय है कि पट्टे पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है अथवा नहीं । इस प्रकार निगराकार ने निगरानी मोगम व बिना किसी आधार के जवाबदार को तंग परेशान करने की गरज से व उसको पट्टाशुदा जायदाद से बेदखल करने की गरज से पेश की गयी है जो खारिज होने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 की भूमि पर रास्ता नहीं है। रास्ते पर तो निगराकार ने अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस बाबत् ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निगराकार को रास्ते से अतिक्रमण हटा लेने बाबत् नोटिस भी जारी किया, निगराकार का कोई कब्जा नहीं है ना ही निगराकार का रास्ता है। विपक्षी संख्या 01 ने निगराकार व सूरजमल मीणा के विरूद्ध उक्त जायदाद से विपक्षी संख्या 01 को बेदखल नहीं कर इस आशय का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का भी सिविल जज, बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा के यहां दिनांक 02.02.2019 को पेश कर रखा है जो विचाराधीन है, और

निगराकार अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहा है, व निगराकार के विरूद्ध सिविल व दाण्डिक प्रकरण चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है। निगराकार ने पट्टे की प्रति स्वयं ने पेश की है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पट्टा विधि सम्मत व नियमानुसार जारी किया गया है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा पेश निगरानी आधारहीन होने से निरस्त फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत जायदाद के संबंध में सिविल न्यायालय बिजौलियां में वाद/अपील लम्बित है, जिसमें मान.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, बिजौलिया द्वारा दिनांक 28.02.2019 को उभयपक्ष की सहमति के आधार पर मौके की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया हैं। पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रकरण वर्तमान में जैरकार हैं। इस प्रकार पहले से ही वाद/अपील लम्बित होते हुये भी एक ही विषय वस्तु पर दो कार्यवाहियां एक साथ नही चल सकती है।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द द्वारा दिनांक 06.05.2019 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि श्रीमती मन्जू देवी पत्नी लालूराम धाकड की पत्रावली (मिसल) ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द में श्रीमती मन्जू देवी पत्नी लालूराम धाकड की मिसल पत्रावली के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं, एवं प्रकरण पूर्व से ही मान.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, बिजौलिया के यहां प्रकरण संख्या 01/2019 मु.दी. कायम होकर जैरकार हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में गुणावगुण पर निर्णय नहीं करते हुये एवं प्रकरण में अंकित जायदाद के संबंध में कार्यवाही अन्य न्यायालय में जैरकार होने से निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में गुणावगुण पर निर्णय नहीं करते हुये तथा प्रकरण में अंकित जायदाद के संबंध में कार्यवाही अन्य न्यायालय में जैरकार होने से निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बिजौलिया तहसील बिजौलिया को मय. तलबिदा रिकार्ड के प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)